

वन संरक्षक (क)0
(ब)0

[Handwritten signature]

1. आतिथिक वनमंडलनिदेशक एफ.ए.सी., पयारपुर, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पयारपुर भवन, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आरओओएचओएचओ) पयारपुर, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पयारपुर भवन, नयी दिल्ली-110003.
3. प्रमुख सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ.
4. प्रभाषीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा, उ० प्र०।
5. उप निदेशिका, लखनऊ, इटावा, उ० प्र०।
6. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अन्तर्गत, पयारपुर, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का बयसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रावली।

प्रतिनिधि सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाइएँ हेतु :-

वन संरक्षक (क)0
(ब)0

भदोय,

उपरोक्त शर्तों के परिपूरण एवं निरन्तर सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विहित स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाय। याचक विभाग को वनमंडल निदेशक द्वारा वाच्य सरकार द्वारा जारी नई किंय जाते।

3. प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने कि संक्षम स्तर से यह एन.पी.डी. की दर में बर्धलायी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
 4. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा मक लिख्यजाल योजना प्रभाषीय वनमंडलिकारी द्वारा स्वीकृत करार इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
 5. विहित स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अधिकरण के लिये प्रेषित किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पोलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में नए प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनको दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।
- उपरोक्त पत्रों की कार्यालय में प्रेषित किया जायेगा।

दिनांक: 1-10-2015

भारत सरकार
प्रादेशिक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(क्षेत्रीय कार्यालय/मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)



केंद्रीय मंत्रालय, पंचम बंगला, संसद भवन, अटारी, नए दिल्ली-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H', Aliganj, Lucknow-226024 Telephone: 2326966, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) gomoeeth@rediffmail.com

पत्र सं 861/सू.पी./09/25/2015/एफ.सी./864

दिनांक: 1-10-2015

राज्य अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,

वन उपयोग वृत्त, अरुण मवन,

17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : इटावा में ताखा तहसील मुख्यालय के निर्माण हेतु ऊदासी वन ब्लॉक की 1.00 हे० संरक्षित वनभूमि का विना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

संदर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नौडल अहिकाठी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक- 635/इटावा-15415/सू०पी०-0132/2015, दिनांक- 16.09.2015

महोदय,
कृपया उपरोक्त विषय पर मुख्य वन संरक्षक एवं नौडल अहिकाठी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश का पत्रांक- 158/Online - Etawah-LP-092/2015, दिनांक- 21.07.2015 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विधायकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक- 18.08.2015 द्वारा अतिरिक्त सूचना बाहरी गरी थी जिसकी अनुपालना राज्य सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विधायक वृक्षाधीनता हेतु आशय का निर्देश हुआ है कि केंद्र सरकार इटावा में ताखा तहसील मुख्यालय के निर्माण हेतु ऊदासी वन ब्लॉक की 1.00 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं वृक्षों के पातन की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोजनाधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रस्तावित वन क्षेत्र के समस्त क्षेत्रों पर वनभूमि अर्थात् 1.00 हे० पर क्षतिपूर्तिपूर्वक वृक्षाधीनता एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों की समतुल्य पर क्षतिपूर्तिपूर्वक वृक्षाधीनता) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के वाहन की है। इसे वन विभाग के पक्ष में इस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जाएगा तथा इस भूमि की छ: माह में आक्षेप/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जाएगा। भूमि का इस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

2. प्रयोजनाधिकरण द्वारा मानवीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आर्डर संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार श्रद्धेय वर्तमान मुख्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित शर्तों जमा की जाएगी।

उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार श्रद्धेय वर्तमान मुख्य तथा दूसरी सभी निश्चिन्ता प्रतिपूर्तिपूर्वक वृक्षाधीनता निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निचय के लेखा संख्या- लेखा संख्या- एफ०सी०-25230, कार्यालय नौडल (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली, ताखा कामपलेक्स, में जमा की जाएगी। जिसके

1/10/15